

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/22 पार्ट(5)

जयपुर, दिनांक : 01.10.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	62/2014	श्री अमित कुमार यादव, प्रोसेस सर्वर, कार्या प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	31.10.2054	एच-504, गांधीनगर
2.	63/2014	श्री राकेश कुमार जाटव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.07.2045	एच-508, गांधीनगर
3.	64/2014	श्री रूप सिंह सिपाही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर	31.01.2046	एच-524, गांधीनगर
4.	0002652022	श्री रणवीर सिंह राठौड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2029	एच-885, गांधीनगर
5.	3/2015	श्री हनुमान सहाय मौर्य, लश्कर, कार्या. कैप्टन, कमाण्डिंग ऑफिसर 3 राज. एनयू एन.सी.सी. जयपुर	31.12.2047	एच-553, गांधीनगर
6.	4/2015	श्री सुरेन्द्र कुमार मीना, चौकीदार, कार्या कैप्टन, कमाण्डिंग ऑफिसर 3 राज. एनयू एन.सी.सी. जयपुर	30.04.2045	एच-562, गांधीनगर
7.	5/2015	श्री आनन्दी लाल शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या. नियंत्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज जयपुर	31.07.2042	एच-563, गांधीनगर
8.	0003812023	श्री पवन कुमार आर्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2036	एच-568, गांधीनगर
9.	6/2015	श्री मोहनलाल महावर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या. न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2 जयपुर	31.05.2045	एच-577, गांधीनगर
10.	7/2015	श्रीमती तारामती शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर जयपुर	30.06.2051	एच-578, गांधीनगर
11.	8/2015	श्री निरंजन परिहार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर	31.03.2050	एच-579, गांधीनगर
12.	0013392024	श्री दिनेश कुमार गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्रम एवं कौशल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.01.2046	एच-582, गांधीनगर
13.	10/2015	सुश्री पूनम कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लोक अभियोजन एवं शासकीय अभिभाषक जयपुर	29.02.2032	एच-586, गांधीनगर



		जिला जयपुर		
14.	10-ए/ 2015	श्री राकेश गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	31.08.2052	एच-589, गांधीनगर
15.	13/2015	श्रीमती इन्दू कंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	29.02.2040	एच-592, गांधीनगर
16.	14/2015	श्री महेन्द्र शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, राजस्थान, जयपुर	30.09.2032	एच-596, गांधीनगर
17.	15/2015	श्री पंकज सोनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उद्यान विज्ञ सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर	28.02..2049	एच-597, गांधीनगर
18.	16/2015	श्री वासुदेव खाण्डल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-33 जयपुर महानगर	31.07.2051	एच-651, गांधीनगर
19.	18/2015	श्री महेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राज., जयपुर	31.12.2041	एच-654, गांधीनगर
20.	19/2015	श्री मदन मोहन उपाध्याय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स जयपुर	30.05.2039	एच-656, गांधीनगर
21.	20/2015	श्री मणिशंकर मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला न्यायालय, जयपुर	28.02.2027	एच-659, गांधीनगर
22.	21/2015	श्री विरेन्द्र प्रसाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट जयपुर	31.01.2036	एच-855, गांधीनगर
23.	22/2015	श्रीमती ललिता देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	30.04.2029	एच-865, गांधीनगर
24.	23/2015	श्री रामसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अति. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	31.08.2039	एच-882, गांधीनगर
25.	24/2015	श्री गिरधारी लाल शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या. संयुक्त निदेशक, कृषि बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर	30.06.2030	एच-888, गांधीनगर
26.	25/2015	श्री राजू राणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	30.04.2037	एच-892, गांधीनगर
27.	26/2015	श्री ठाकरसी मीणा, सहायक कर्मचारी, कार्या. संयुक्त निदेशक, प्रशासन कार्यालय आयुक्त उद्योग भवन तिलक मार्ग राजस्थान जयपुर	30.09.2038	एच-894, गांधीनगर
28.	27/2015	श्री उदीराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	31.07.2028	एच-897, गांधीनगर
29.	28/2015	श्री महावीर प्रसाद सैनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-2 जयपुर	30.10.2038	एच-902, गांधीनगर
30.	30/2015	श्री रामनारायण, बेलदार, कार्या. सहायक अभियंता	31.01.2032	एच-903,

		सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर		गांधीनगर
31.	32/2015	श्री फैलीराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आयुर्वेद अधिकारी बी क्षेत्र प्रतापनगर जयपुर	31.12.2026	एच-905, गांधीनगर
32.	33/2015	श्री मोनू कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर	29.02.2048	एच-907, गांधीनगर
33.	34/2015	श्री हरीश कुमार, लश्कर, फ्लाइट कमाण्डो नं. 1 राज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी जयपुर	30.04.2043	एच-911, गांधीनगर
34.	35/2015	श्रीमती विद्या भारती, वन रक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर	31.12.2045	एच-912, गांधीनगर
35.	36/2015	श्री हरीश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर	31.08.2054	एच-913, गांधीनगर
36.	37/2015	श्री नरेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर जयपुर	31.07.2053	6/6, गांधीनगर

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(योगिता विश्‍नोई)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

3. उप सचिव, कार्यालय प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कृषि बीज परीक्षण प्रयोगशाला/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. अति. मुख्य अभियंता/अधिशोषी अभियंता/सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/ लोक अभियोजन एवं शासकीय अभिभाषक/ कार्या न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण/ न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 33/ न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 2/ न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 9, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग/ वन्यजीव, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. कैप्टन/फ्लाइट, कमाण्डिंग ऑफिसर 3 राजस्थान एनयू एन.सी.सी./ कमाण्डिंग ऑफिसर 1 राजस्थान एयर स्क्वाड्रन एन.सी.सी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
15. अधिशोषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. अधिशोषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
19. अधिशोषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशोषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव